


| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| <p>आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख</p> | <p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p> | <p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p> |
| | <p>राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-157(2)/रा०, दिनांक-11.01.2018 एवं पत्रांक-332/रा०, दिनांक-24.01.2020 के द्वारा निदेश है कि बिहार टेनेन्ट्स होल्डिंग्स (मेनटेनेन्स ऑफ रेकार्ड्स) एक्ट, 1973 की धारा-16 के अन्तर्गत सिमिजन वाद में सुनवाई करने की शक्ति अपर समाहर्ता को प्रदत्त नहीं है। इसके लिए जिला समाहर्ता (Collector) को शक्ति प्रदत्त है।</p> <p>अतः उक्त पत्र के आलोक में इस वाद को सुनवाई हेतु जिला समाहर्ता (Collector) गढ़वा को भेजे।</p> <p style="text-align: right;">  अपर समाहर्ता, गढ़वा। </p> | |